

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
82/2025 प्रा.पत्र/2025

तारीख दायरा
25.08.2025

तारीख निर्णय
25.09.2025

डॉ० मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज०।

प्रार्थी

बनाम

1-श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद विनय कुमार जैन सदर बाजार देवली जिला टोंक राज०। निवासी जैन कॉलोनी बस स्टैण्ड के पीछे देवली जिला टोंक राज०। पिनकोड-304804 मोबाईल नं० 9261773750

अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (iv) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री धीरज कुमार जैन स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 25/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.06.2025 को समय 03:11 पी.एम. पर मैसर्स महावीर प्रसाद विनय कुमार जैन सदर बाजार देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर प्रोपरायटर की हैसियत से श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महावीर प्रसाद विनय कुमार जैन सदर बाजार देवली जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री धीरज कुमार जैन की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, ची व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ मसाले खुले के साथ लगभग 10-12 किलोग्राम हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose) दुकान में प्लास्टिक के बैग में वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कथ करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय शील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में प्लास्टिक के बैग में रखे हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose) वास्ते नमूना जांच कथ किया जा रहा है, लगभग 10-12 किलोग्राम हल्दी पावडर में से कुल 2 किलोग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose) 2 किलोग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में प्रत्येक में 500-500 ग्राम भरकर डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4414 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4414 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील बपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व शेर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील बपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/888 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/2591/एक्ट/2025/2637 दिनांक 24.06.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 23.14(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री धीरज कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा वदस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र खुले में विक्रय करने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पारा से लिया गया हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011



प्रतिरक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोक

की धारा 26 की उप धारा 2(iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति बसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन साधुकरिया)
न्याय मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0